

प्रारूप

आकवि -6

भारतीय आयकर विवरणी

[धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न  
कंपनियों के लिए]  
[आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें]  
(कृपया अनुदेश देखें)

निर्धारण वर्ग

2 0 2 2 - 2 3

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत सूचना

(क1) नाम		(क2) स्थायी लेखा सं०	
(क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें		(क4) कारपोरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी	
(क8) फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	(क9) परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ग)	(क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ग)
		/ /	/ /
(क10) सड़क /मार्ग/डाक घर	(क11) क्षेत्र/अवस्थान	(क7) कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	
		(i) देशी कंपनी	<input type="checkbox"/>

			(ii) विदेशी कंपनी	<input type="checkbox"/>
(क12) कस्बा/शहर/जिला	(क13)राज्य देश	(क14)पिन कोड / जिप कोड	यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)	<input type="checkbox"/>
(क15) कार्यालय की दूरभा-1 संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं0-1		(क16)मोबाइल नं0-2	(क17) ई मेल पता-1	
(क18) ई मेल पता-2				
(क19) धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरण, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब की माफी के पश्चात्			
या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148			
(ख) यदि पुनरीक्षित/वृष्टिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)				/ /
(ग) यदि धारा 139(9)/142(1)/148 के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिंक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।				/ /
(घ) आवासीय प्रास्थिति (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी				
(ड.) क्या आपने धारा 115खक/115खकक/115खकख के तहत कराधान का विकल्प चुना है ? (ई फाईलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन है) (घरेलू कंपनी पर लागू) यदि हां, कृपया नि.व. का वर्णन करें जिसमें उक्त विकल्प का पहली बार प्रपत्र (10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ) तथा पावती संख्या के साथ उपयोग किया गया है यदि नहीं, क्या इस वर्ष के लिए विकल्प चुना है? हां नहीं यदि हां, कृपया पत्र 10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ दाखिल करने की तिथि बताएं				
(च) क्या पिछले वर्ष 2019-20 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ/ नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)				
(छ) क्या निर्धारिती देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?				
(ज) अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(झ) अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) है ? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या				
(ञ) क्या निर्धारिती से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ? यदि हां, कृपया विवरण दें .				
(ट) क्या कम्पनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(ठ) क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(ड) क्या निर्धारिती कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(ड) क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं0 बताएं				
(ण) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
क्या निर्धारिती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? ( निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -				
(1) निर्धारिती के प्रतिनिधि का नाम				
(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)				
(3) निर्धारिती के प्रतिनिधि का पता				
(4) निर्धारिती के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या				
(त) क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
1 यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें				
2 क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
3 यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें				

फाइल करने की प्रास्थिति

	4	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
	5	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें			
संपरीक्षा सूचना	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(क2)	क्या निर्धारित धारा 44कड./44ख/44खख/44खखख/44घ के अंतर्गत ही आय की घोषणा कर रहा है निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(क2i)	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक			
	(क2ii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी.डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(क2iii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी.डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(ख)	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)			
	(ग)	यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
		(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष)		
		(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम		
		(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या		
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)			
	(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०			
	(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं.			
	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख			
	(घi)	क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(घii)	यदि (घज) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	लेख परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष	
	(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें [कृपया अनुदेश 5 देखें]			
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		<b>क्र. सं.</b>	<b>अनुभाग कोड</b>	<b>तारीख (दिन/मास/वर्ष)</b>	
	ड	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?			
		<b>अधिनियम और धारा</b>	<b>(दिन/मास/वर्ष)</b>	<b>अधिनियम और धारा</b>	
				<b>(दिन/मास/वर्ष)</b>	
	(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्रित कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समनु-ंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों हैं तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें			
	(ख)	यदि समनु-ंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें			
		<b>पैन</b>	<b>धारक कंपनी का नाम</b>	<b>धारक कंपनी का पता</b>	
				<b>धारित शेयरों का प्रतिशत</b>	
	(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समनु-ंगी कंपनी का उल्लेख करें			
		<b>पैन</b>	<b>समनु-ंगी कंपनी का नाम</b>	<b>समनु-ंगी कंपनी का पता</b>	
				<b>धारित शेयरों का प्रतिशत</b>	
	(क)	समाभिलेक कंपनी की दशा में, समाभिलेक कंपनी का उल्लेख करें			
		<b>पैन</b>	<b>समाभिलेक कंपनी का नाम</b>	<b>समाभिलेक कंपनी का पता</b>	
				<b>समाभिलेक की तारीख</b>	
	(ख)	समाभिलेक कंपनी की दशा में, समाभिलेक कंपनी का उल्लेख करें			
		<b>पैन</b>	<b>समाभिलेक कंपनी का नाम</b>	<b>समाभिलेक कंपनी का पता</b>	
				<b>समाभिलेक की तारीख</b>	
	(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के व्यौरे दें			
		<b>पैन</b>	<b>परिणामिक कंपनी का नाम</b>	<b>परिणामिक कंपनी का पता</b>	
				<b>निर्विलियन की तारीख</b>	

कारखान संगठन

	(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें				
		पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख	
प्रमुख व्यक्ति	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं					
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं.	
शेयरधारक की	उन व्यक्तियों की विशी-टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे।					
	क्रम सं०	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)		
स्वामित्व संबंधी जानकारी	असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे।					
	क्रम सं०	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक/आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)	
	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।					
	क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	
					निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या	
	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।					
	क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	
					निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या	
कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार	कंपनी का स्वरूप					
	1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं				(निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>
	2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	4	क्या आप बैंकारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंकारी कंपनी हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी हैं (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	7	क्या आप गैर बैंकारी वित्तीय संस्थान की कंपनी हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)						
क्र. सं.	कोड	वर्णन				
(i)	[कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]					

(ii)		
(iii)		

भाग क-तुलन पत्र 31 मार्च, 2022 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र

I साधारण पूंजी और दायित्व					
साधारण पूंजी और दायित्व	<b>1</b>	शेयर धारक की निधि			
		क शेयर पूंजी			
		i	प्राधिकृत	का	
		ii	पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	कii	
		iii	अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं	कiii	
		iv	कुल ( कii + कiii )	कiv	
		ख	आरक्षित और अधिशेष		
			i	पूंजी आरक्षित	खi
			ii	पूंजी मोचन आरक्षित	खii
			iii	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित	खiii
			iv	डिबेन्चर मोचन आरक्षित	खiv
			v	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	खv
			vi	शेयर विकल्प बकाया रकमे	खvi
			vii	अन्य आरक्षित (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)	
			क		viiक
			ख		viiख
			ग	कुल ( viiक+viiख )	खvii
			viii	अधिशेष अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखों में अतिशेष (नामों पक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खviii
			ix	कुल ( खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii ) (नामों पक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खix
		ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम		1 ग
		घ	शेयर धारक की कुल निधि ( कiv + खix + 1 ग )		1 घ
		<b>2</b>	शेयर आवेदन की रकम, जिसका आवंटन लंबित है		
			i	एक वर्ष से कम से लंबित है	i
		ii	एक वर्ष से अधिक से लंबित है	ii	
		iii	कुल ( i+ii )	2	
	<b>3</b>	स्थगित दायित्व			
		क दीर्घकालिक उधार			
		i	बंधपत्र/डिबेन्चर		
		क	विदेशी मुद्रा	i क	
		ख	रुपया	i ख	
		ग	कुल ( i क + ii ख )	i ग	
		ii	आवधिक ऋण		
		क	विदेशी मुद्रा	ii क	
		ख	ऋण रूप में		
		1	बैंकों से	ख1	
		2	अन्य से	ख2	
		3	कुल ( ख1+ख2 )	ख3	
		ग	कुल आवधिक ऋण ( ii क + ख3 )	ii ग	
		iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व	iii	
		iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)	iv	
		v	अन्य निक्षेप	v	
		vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)	vi	
		vii	अन्य ऋण और अग्रिम	vii	
		viii	दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता	viii	
		ix	कुल दीर्घकालिक ( i ग + ii ग + iii + iv + v + vi + vii + viii )	3 क	

ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)		3ख		
	ग अन्य दीर्घकालिक दायित्व				
	i	व्यापार संदेय	i		
ग	ii	अन्य	ii		
	iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)	3ग		
	घ दीर्घकालिक विनिधान				
घ	i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान	i		
	ii	अन्य	ii		
	iii	कुल (i+ii)	3घ		
ङ	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)		3ङ		
4	चालू दायित्व				
क	अल्पकालिक उधार				
	i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण			
		क बैंकों से	i क		
		ख गैर-बैंककारी कंपनियों से	i ख		
		ग अन्य वित्तीय संस्थाओं से	i ग		
		घ अन्य से	i घ		
	ङ	कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (iक+iख+iग+iघ)		iङ	
	ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)		ii	
	iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)		iii	
	iv	अन्य ऋण और अग्रिम		iv	
	v	अन्य निक्षेप		v	
vi	कुल अल्पकालिक उधार ( iङ+ii+iii+iv+v)		4क		
ख	व्यवसाय संदेय				
i	एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया		i		
	ii अन्य		ii		
	iii कुल व्यवसाय संदेय ( i+ii)		4ख		
ग	अन्य चालू दायित्व				
	i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता	i		
	ii	वित्तपो-ण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता	ii		
	iii	उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध नहीं है	iii		
	iv	उधार पर प्रोद्भूत और शोध ब्याज	iv		
	v	अग्रिम में प्राप्त आय	v		
	vi	असदत्त लाभांश	vi		
	vii	प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय	vii		
	viii	असदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	viii		
	ix	असदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	ix		
	x	अन्य संदेय	x		
xi	कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)		4ख		
घ	अल्पकालिक उपबंध				
	i	कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए उपबंध	i		
		ii	आय-कर के लिए उपबंध	ii	
		iii	प्रस्तावित लाभांश	iii	
		iv	लाभांश पर कर	iv	
		v	अन्य	v	
	vi	कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)		4घ	
ङ	कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)		4ङ		
कुल शेयर और दायित्व (1घ + 2 + 3ङ + 4ङ)			I		
II	आस्तियां				
I	गैर-चालू आस्तियां				

	क	स्थिर आस्तियां				
		i	मूर्त आस्तियां			
			क	सकल ब्लाक	i	
			ख	अवक्षयण	ix	
			ग	हास से हुई हानियां	ig	
			घ	शुद्ध ब्लाक (ik-ix - ig)	ig	
		ii	अमूर्त आस्तियां			
			क	सकल ब्लाक	ii	
			ख	क्रमिक अपाकरण	ii	
			ग	हास से हुई हानियां	ii	
		घ	शुद्ध ब्लाक (ii-ii - ii)	ii		
		iii	पूँजीगत चालू काम			iii
		iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां			iv
	v	कुल स्थिर आस्तियां (ig + ii + iii + iv)			k v	
	ख	गैर-चालू विनिधान				
		i	संपत्ति में विनिधान		i	
			शेयर लिखतों में विनिधान			
		ii	क	सूचीबद्ध शेयर	ii	
			ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	ii	
			ग	योग (ii क + ii ख)	ii	
		iii	अधिमाननी शेयरों में विनिधान		iii	
		iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान		iv	
		v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान		v	
		vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान		vi	
vii		भागीदारी फर्मों में विनिधान		vii		
viii	अन्य विनिधान		viii			
ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			खix		
ग	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)				ग	
घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम					
		i	पूँजी अग्रिम	i		
		ii	प्रतिभूति निक्षेप	ii		
		iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	iii		
		iv	अन्य ऋण और अग्रिम	iv		

			v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)	घ v	
			vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो		
		क		कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	vik	
		ख		कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	viख	
		ग		आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	viग	
	घ	अन्य गैर-चालू आस्तियां				
			i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य		
		क		प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	iक	
		ख		गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	iख	
		ग		शंकास्पद	iग	
		घ		कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (iक + iख + iग)	iघ	
			ii	अन्य	ii	
			iii	योग (iघ + ii)	iii	



			iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के लिए/की ओर से, देय है	iv		
	ड.	कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खix + ग+ घv + ङii)				1	च
2	चालू आस्तियां						
	क			चालू विनिधान			
				i	शेयर लिखतों में विनिधान		
				क	सूचीबद्ध शेयर	ik	
				ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	ix	
				ग	योग (ik + ix)	ig	
				ii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	ii	
				iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iii	
				iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	iv	
				v	पारस्परिक निधियों में विनिधान	v	
				vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vi	
				vii	अन्य विनिधान	vii	
				viii	कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)	kviii	
	ख			संपत्ति-सूची			
				i	कच्चा माल	i	
				ii	चालू काम	ii	
				iii	तैयार माल	iii	
				iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)	iv	
				v	भंडार और स्पेयर	v	

			vi खुले औजार	vi		
			vii अन्य	vii		
			viii कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)		ख viii	
	ग	व्यापार प्राप्य				
		i 6 मास से अधिक से बकाया	i	i		
		ii अन्य	ii	ii		
		iii कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)			गiii	
	घ	नकदी और नकद समतुल्य				
		i बैंक नकद	i	i		
		ii चैक, ड्राफ्ट	ii	ii		
		iii नकद अतिशेन	iii	iii		
		iv अन्य	iv	iv		
		v कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)			घv	
	ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम				
		i पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें)	i	i		
		ii अन्य	ii	ii		
		iii कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)			ङiii	
		iv ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो				
		क कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	iv क	iv क		
		ख कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	iv ख	iv ख		

		आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद गस्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	ivग	
	च	अन्य चालू आस्तियां	च	
	छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)	2छ	
कुल आस्तियां (1च+2छ)			II	

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में

31 मार्च, 2022 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

I	साधारण शेयर और दायित्व			
	I	साधारण शेयर		
		अ	साधारण शेयर पूंजी	
		i	प्राधिकृत	कi
		ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	कii
		iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	कii i
		iv	कुल (कii + कiii)	क+i v
		आ	अन्य साधारण शेयर	
		i	अन्य रिजर्व	
		क	पूंजी विमोचन आरक्षित	iक
		ख	डिबेंचर विमोचन रिजर्व	iख
		ग	शेयर विकल्प बकाया लेखा	iग
		घ	अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	iघ
		ड.	कुल अन्य भंडार (iक+iख+iग+iघ)	iड.
		ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामें पक्ष का अतिशेष -वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)	ii
		iii	कुल (खiड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)	खiii
		इ	कुल साधारण शेयर (कiv + खiii)	1ग

2	दायित्व			
	अ	गैर मौजूदा दायित्व		
	I	वित्तीय दायित्व		
		उधारी		
	क	बांड या डिबेंचर		
		1 विदेशी मुद्रा	क 1	
		2 रुपए	क 2	
		3 कुल (1 + 2)	क 3	
	ख	उधार अवधि		
		1 विदेशी मुद्रा	ख 1	
		2 रुपया उधार		
		i बैंकों से	i	
		ii अन्य पार्टियों से	ii	
		iii कुल (i + ii)	ख 2	
	3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)	ख 3	
	ग	आस्थगित संदाय दायित्व	ग	
	घ	निक्षेप	घ	
	ड.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)	ड.	
	च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता	च	
	छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक	छ	
	ज	अन्य उधार	ज	
	झ	कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)	झ	
	ञ	व्यापार उधार	ञ	
	ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अलावा)	ट	
	II	उपबंध		
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क	
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख	
	ग	कुल उपबंध	IIग	
	III	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	III	
	IV	अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व		
	क	अग्रिम	क	
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख	
	ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व	IVग	
		कुल गैर-वर्तमान देयताएं (झा + Iअ + झट + IIग + III + IVग)	2क	
	B	वर्तमान दायित्व		
	I	वित्तीय दायित्व		
		i उधारी		
	क	मांग पर लौटाने वाले उधार		
		1 बैंकों से	1	
		2 अन्य पार्टियों से	2	
		3 मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3	
	ख	संबंधित दलों से उधार	ख	

			ग	निक्षेप	ग			
			घ	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	घ			
				कुल उधार (क + ख + ग + घ)		ii		
				<b>ii व्यापार देनदारियां</b>		iii		
				<b>iii अन्य वित्तीय दायित्व</b>				
		क		लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क			
		ख		वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख			
		ग		अर्जित ब्याज	ग			
		घ		अवैतनिक लाभांश	घ			
		ड		प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर अर्जित ब्याज	ड.			
		च		असंदल्ल परिपक्व निक्षेप और उस पर अर्जित ब्याज	च			
		छ		उस पर अर्जित असंदल्ल परिपक्व डिबेंचर और ब्याज	छ			
		ज		अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ज			
		झ		कुल अन्य वित्तीय दायित्व (क + ख + ग + घ + ड. + च + छ + ज)		iii		
		iv		<b>कुल वित्तीय दायित्व (झ + झii + झiii)</b>		iv		
		<b>II</b>		<b>अन्य चालू दायित्व</b>				
		क		अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क			
		ख		अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
		ग		अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग			
		घ		कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख + ग)		iiघ		
		<b>III</b>		<b>उपबंध</b>				
		क		कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क			
		ख		अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
		ग		कुल उपबंध (क + ख)		iiiग		
		<b>IV</b>		<b>वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)</b>		IV		
		<b>कुल मौजूदा दायित्व (iv + iiघ + iiiग + IV)</b>					2ख	
		<b>कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क + 2ख)</b>					I	

II	आस्तियां			
	I	गैर तात्कालिक आस्तियां		
		<b>क संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर</b>		
		क	सकल ब्लॉक	क
		ख	मूल्यहास	ख
		ग	क्षति नुकसान	ग
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	क घ
		<b>ख पूंजीगत कार्य-प्रगति</b>		ख
		<b>ग निवेश सम्पत्ति</b>		
		क	सकल ब्लॉक	क
		ख	मूल्यहास	ख
		ग	क्षति नुकसान	ग
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	ग घ
		<b>घ साख</b>		
		क	सकल ब्लॉक	क
		ख	क्षति नुकसान	ख
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख )	घ ग
		<b>ड. अन्य अमूर्त संपत्ति</b>		
		क	सकल ब्लॉक	क
		ख	उधारमुक्ति	ख
		ग	क्षति नुकसान	ग
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	ड.घ
		<b>च विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति</b>		च
		<b>छ बाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां</b>		
		क	सकल ब्लॉक	क
		ख	क्षति नुकसान	ख
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख )	छग
		<b>ज वित्तीय आस्तियां</b>		
		<b>I निवेश</b>		
		<b>i साधारण साम्या लिखत में निवेश</b>		
		क	सूचीबद्ध साम्य	iक
		ख	असूचीबद्ध साम्य	iख
		ग	कुल (iक + iख)	iग
		ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii
		iii	सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii
		iv	डिबेंचर या बांड में निवेश	iv
		v	म्यूचुअल फंड में निवेश	v
		vi	साझेदारी फर्मों में निवेश	vi
		vii	साझेदारी फर्मों में निवेश	vii
		viii	कुल गैर-मौजूदा निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)	जा
		<b>II व्यापार स्वीकार योग्य</b>		
		क	व्यापार स्वीकार योग्य	क
		ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख
		ग	संदिग्ध	ग
		घ	कुल व्यापार प्राप्य	जाII
		<b>III उधार</b>		
		i	सुरक्षा निक्षेप	i
		ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii
		iii	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii
		iv	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))	जIII
		v	जIII में शामिल उधार, जो कि-	
		क	व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	vक
		ख	व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	vख

					ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ई) के अनुसार, शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	वग		
			IV	अन्य वित्तीय आस्तियां					
				i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप		i		
				ii	अन्य		ii		
				iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)		ज IV		
			झ	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)					झ
			ज	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति					
				i	पूंजीगत अग्रिम		i		
				ii	पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		ii		
				iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		iii		
				iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)		ज		
				v	आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां जिनमें से ऊपर दिया गया है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या से इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ आस्तियां		v		
				कुल गैर - मौजूदा आस्तियां (कघ + ख + गघ + घग + ड.घ + चF + छग + जाI + जII + जIII + जIV + झ + ज)					1
	2			वर्तमान आस्ति					
			क	वर्तमान आस्ति					
				i	कच्चा माल		i		
				ii	कार्य प्रगति पर है		ii		
				iii	तैयार माल		iii		
				iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)		iv		
				v	स्टोर और पुर्जों		v		
				vi	हीला टूल		vi		
				vii	अन्य		vii		
				viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)		2क		
			ख	वित्तीय आस्तियां					
			I	निवेश					
				i	साम्या लिखत में निवेश				
				क	सूचीबद्ध साम्या		i क		
				ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर		i ख		
				ग	कुल (i क + i ख)		ig		
				ii	वरीयता शेयरों में निवेश		ii		
				iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश		iii		
				iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश		iv		
				v	म्यूचुअल फंड में निवेश		v		
				vi	भागीदारी फर्मों में निवेश		vi		
				vii	अन्य निवेश		vii		
				viii	कुल वर्तमान निवेश (ig + ii + iii + iv + v + vi + vii)		I		
			II	व्यापार स्वीकार योग्य					

			i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i			
			ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii			
			iii	संदिग्ध	iii			
			iv	कुल व्यापार प्राप्य (i + ii + iii)			II	
		<b>III</b>	<b>नकद और नकद समकक्ष</b>					
			i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i			
			ii	उपलब्ध चेक और ड्राफ्ट	ii			
			iii	हाथ में पैसा	iii			
			iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv			
			v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)			III	
		<b>IV</b>	<b>उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष</b>					IV
		<b>V</b>	<b>उधार</b>					
			i	सुरक्षा निक्षेप	i			
			ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii			
			iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii			
			iv	कुल उधार (i + ii + iii)			V	
			v	जो उपरोक्त वी में शामिल उधार और अग्रिम हैं-				
			क	व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए	vक			
			ख	व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं	vख			
			ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग			
		<b>VI</b>	<b>अन्य वित्तीय आस्तियां</b>					VI
			<b>कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)</b>					2ख
		ग	<b>चालू कर आस्तियां (शुद्ध)</b>					2ग
		घ	<b>अन्य मौजूदा आस्तियां</b>					
			i	पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	i			
			ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii			
			iii	कुल			2घ	
			<b>कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)</b>					2
			<b>कुल आस्तियां (1 + 2)</b>					II

भाग क-

विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट			
	क प्रारम्भिक तालिका			
	i कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i		



	ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii		
	iii	योग (i + ii)			कiii
ख		क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)			ख
ग		प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
घ		प्रत्यक्ष कर (घi + घii + घiii)			घ
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत् और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
ङ		कारखाना अधिव्यय			
	I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
	ii	कारखाना किराया और दर	ii		
	iii	कारखाना बीमा	iii		
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत्	iv		
	v	कारखाना साधारण व्यय	v		
	vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
	vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			ङvii
च		विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+ङvii)			1च
2		अंत स्टॉक			
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
		योग (2i + 2ii)			2
3		व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)			3

**भाग क -  
व्यापार लेखा**

**वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार लेखा** (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

व्यापार लेखे में बना	4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व				
	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
			क		iiiक	
		ख		iiiख		
		ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग		
		iv	योग (i + ii + iiiग)			कiv
	ख		व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख
व्यापार लेखा विकलन	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर				
		i	संघ उत्पाद कर	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
		v	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	v		
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii		
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			गix
घ		प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)			4घ	
5		तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक			5	
6		व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5iv)			6	
7		तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक			7	
व्यापार लेखा विकलन	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				8
		प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)				9
		i	आवक वहन व्यय	i		

	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
10		क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर			
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii		
11		विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत		11	
12		कारवार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12क		दिनभर व्यापार से आवर्त		12क	
12ख		दिन भर व्यापार से आय		12ख	

**भाग क – लाभ और हानि**

**वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा** (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ	13		
	14	अन्य आय			
लाभ हानि लेखे में जमा	i	किराया	i		
	ii	कमीशन	ii		
	iii	लाभांश आय	iii		
	iv	ब्याज आय	iv		
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v		
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii		
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix		
	x	कृषि आय	x		
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		xiक	
		ख		xiख	
	ग	योग (xiक + xiख)	xiग		
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)	14xii		
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)	15		
लाभ और हानि खाते में देय	16	जावक भाडा	16		
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग	17		
	18	विद्युत और ईंधन	18		
	19	किराया	19		
	20	भवन की मरम्मत	20		
	21	मशीनरी की मरम्मत	21		
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
	i	वितन और मजदूरी	22i		

ii	बोनस	22ii		
iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v		
vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii		
viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x		
xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi
xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
	यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
23	बीमा			
i	चिकित्सीय बीमा	23i		
ii	जीवन बीमा	23ii		
iii	की-मैन बीमा	23iii		
iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv		
v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय			24
25	मनोरंजन			25
26	आतिथ्य			26
27	सम्मेलन			27
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है			28
29	विज्ञापन			29
30	कमीशन			
i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
ii	अन्य को	ii		
iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामिस्व			
i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
ii	अन्य को	ii		
iii	योग (i + ii)			31iii
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस			
i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
ii	अन्य को	ii		
iii	योग (i + ii)			
33	होटल, बोर्डिंग, आवास			33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय			34
35	विदेशी यात्रा व्यय			35
36	प्रवहण व्यय			36
37	टेलीफोन व्यय			37
38	अतिथि गृह व्यय			38
39	क्लब व्यय			39
40	उत्सव समारोह व्यय			40
41	छात्रवृत्ति			41
42	उपहार			42
43	दान			43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)			

	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45		संपरीक्षा फीस		45	
46		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)		46iii	
47		डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	(i1)		47i(1)		
	(i2)		47ii (2)		
	(i3)		47i(3)		
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3))	47iv		47i
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)	47v		47ii
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	47i(1)		47iii
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)		47iv	
48		डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध		48	
49		अन्य उपबंध		49	
50		ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]		50	
51		ब्याज			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			
52		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		52	
53		करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)		53	
54		वर्तमान कर के लिए उपबंध		54	
55		आस्थगित कर के लिए उपबंध		55	
56		कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)		56	
57		पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष		57	
58		विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)		58	
59		विनियोग			
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60		तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)		60	
61		धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना			

क्र. सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	वर्णन	
	माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारित की स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी था	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
	कुल				
यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]				61(ii)
टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कड के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है					
लेखाहित मामला	62 ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखख या 44घ में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
	क सकल प्राप्ति/आवर्त				62क
	ख शुद्ध लाभ				62ख

**भाग क - विनिर्माण लेखा भारतीय - लेखा मानक**

**वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा** [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू हों।]

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट				
	क आरम्भिक तालिक				
	I	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i		
	ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii		
	iii	योग (i + ii)			कiii
	ख	ऋय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय			घ
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
	ङ	कारखाना उपरिव्यय			
	I	अप्रत्यक्ष मजदूरी			
	ii	कारखाना किराया और दर			
	iii	कारखाना बीमा			
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत			

	V	कारखाना साधारण व्यय				
	Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण				
	Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			डvii	
च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +डvii)				1च	
2	अन्त स्टॉक					
	i	कच्ची सामग्री	2i			
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii			
	योग (2i + 2ii)				2	
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)					
						3

**भाग क - व्यापार लेखा  
भारतीय - लेखा मानक**

**वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार लेखा** [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालनों से राजस्व						
	क	विक्रय/कारवार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)						
		i	माल का विक्रय	i				
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii				
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		क	ख		iiiख			
			ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग			
			iv	योग (i + ii + iiiग)			कiv	
		ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां					ख
		ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर					
i		i	संघ उत्पाद शुल्क	i				
	ii	सेवा कर	ii					
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii					
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv					
	v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v					
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi					
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii					
	viii	कोई अन्य शुल्क कर और उपकर	viii					
	ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			गix			
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)					4घ	
5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक					5		
6	व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5iv)					6		
7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक					7		
8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)					8		
9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)					9		
व्यापार लेखा में देय	i	i	आवक बहन व्यय	i				
		ii	विद्युत और ईंधन	ii				
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय					
	टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है					iii		
	10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर						
	i	i	सीमा शुल्क	10i				
		ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii				
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii				
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv				
		v	सेवा कर	10v				
vi		मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi					
vii		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii					

	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
11		विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत		11	
12		लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12क		दिन भर व्यापार से आवर्त		12क	
12ख		दिन भर व्यापार से आय		12ख	

**भाग क – लाभ और हानि भारतीय लेखा मानक**

**वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा** [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

लाभ हानि लेखे में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ			13		
	14	अन्य आय					
		i	किराया	i			
		ii	कमीशन	ii			
		iii	लाभांश आय	iii			
		iv	ब्याज आय	iv			
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v			
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi			
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii			
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix			
		x	कृषि आय	x			
		xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
			क		xiक		
		ख		xiख			
		ग	योग (xiक + xiख)	xiग			
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii		
15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)			15			
लाभ और हानि खाता में देय	16	जावक भाड़ा			16		
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग			17		
	18	विद्युत और ईंधन			18		
	19	किराया			19		
	20	भवन की मरम्मत			20		
	21	मशीनरी की मरम्मत			21		
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
		i	वेतन और मजदूरी	22i			
		ii	बोनस	22ii			
		iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
		v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi				
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii				
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii				
	ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय	22ix				
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x				
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi		

	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
23	बीमा				
	i	चिकित्सीय बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	की-मैन बीमा	23iii		
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी है	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24		कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय			24
25		मनोरंजन			25
26		आतिथ्य			26
27		सम्मेलन			27
28		विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है			28
29		विज्ञापन			29
30		कमीशन			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31		स्वामिस्व			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32		तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33		होटल, बोर्डिंग, आवास			33
34		विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय			34
35		विदेशी यात्रा व्यय			35
36		प्रवहण व्यय			36
37		टेलीफोन व्यय			37
38		अतिथि गृह व्यय			38
39		क्लब व्यय			39
40		उत्सव समारोह व्यय			40
41		छात्रवृत्ति			41
42		उपहार			42
43		दान			43
44		सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)			
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45		संपरीक्षा फीस			45
46		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			



	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)			46iii
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	(i1)				47(i1)
	(i2)				47i(2)
	(i3)				47i(3)
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i1+47i2+47i3)		47i		
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)	47ii		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	47iii		
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)			47iv
48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध				48
49	अन्य उपबंध				49
50	व्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]				50
51	व्याज				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			51iii
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				52
53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)				53
54	वर्तमान कर के लिए उपबंध				54
55	आस्थगित कर के लिए उपबंध				55
56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)				56
57	पूर्व वर्ष से अग्रनीत अतिशेष				57
58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58
59	विनियोग				
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)				60
61	क ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी				
	i	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i		
	ii	परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन	ii		
	iii	ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखते	iii		
	iv	एफवीपीटीएल में पदाभिहित वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन	iv		
	v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v		
	vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
	vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii		
	viii	योग			61क
	ख वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी				
	i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i		
	ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखते	ii		
	iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii		

	iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv		
	v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		
	vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi		
	vii	योग			61ख
62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)				62

**भाग क- अन्य जानकारी**

अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो अनिवार्य, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति <input type="checkbox"/> नकद	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क(iii)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11ख(iii)]	3ख	
	4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)		
		क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
		घ धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	
		ङ धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-		
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क	
		ख परफॉर्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोधय के रूप में स्वीकार की जाए	5ख	
		ग पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ	
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
		च लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
	6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें		
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)( i)]	6क	
	ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1) ( i ख)]	6ख		
	ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)( ii)]	6ग		
	घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1) ( iii)]	6घ		
	ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)( iii क)]	6ङ		
	च किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( iv)]	6च		
	छ अनुमोदित अधिवर्गिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( iv)]	6छ		
	ज धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)( iv क)]	6ज		
	झ मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( v)]	6झ		

ज	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज	
ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भवि-य निधि या अधिवर्गिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)( vi)]	6ट	
ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)( vii)]	6ठ	
ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)( vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)( viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)( ix)]	6ण	
त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1) ( xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii) अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ	
द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द	
घ	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6घ)	6घ	
न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भवि-य निधि है तो आवश्यक)		
	i भारत में अभिनियोजित	i	
	ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii	
	iii कुल	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	पूंजी स्वरूप का व्यय	7क	
ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय	7ख	
ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्त्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिनिद्ध है	7छ	
ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज	
झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ञ	
ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7 झ का योग)	7	
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग	
घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ	
च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच	
छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ	

		ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/ 40(खक)] के अंतर्गत स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज	
		कोई अन्य अननुज्ञेय	अज	
		धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अज का योग)		8अज
अ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम			8आ
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृति योग अकाउंट पेयी बैंक अथवा अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ	
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)		9च
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवारिंकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक	
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ	
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10ज
11	पूर्व वर्ग के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवारिंकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक	
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च	

	छ रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ	
	ज धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम		
	क संघ उत्पाद शुल्क	12क	
	ख सेवा कर	12ख	
	ग मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
	घ केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ	
	ङ राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ	
	च एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च	
	छ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ	
	ज कोई अन्य कर	12ज	
	झ अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12 झ
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15
16	धारा 14 के अधीन अनुज्ञात व्यय की रकम		16
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]		17

भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो अनिवार्य ब्यौरे)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टॉक	1
	2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3
	4	अंतिम स्टॉक	4
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में	
	6	कच्चा माल	
		क आरंभिक स्टॉक	6 क
		ख पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6 ख
		ग पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6 ग
		घ पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6 घ
		ङ अंतिम स्टॉक	6 ङ
		च प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च
		छ प्राप्त का प्रतिशत	6 छ
		ज कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद	
		क आरंभिक स्टॉक	7 क
		ख पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7 ख
		ग पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग
	घ पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7 घ	
	ङ अंतिम स्टॉक	7 ङ	
	च कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च	

भाग क- ओ  
एल

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

<b>1</b>	आरम्भिक अतिशेष			
	<b>i</b> हाथ नकदी	<b>1i</b>		
	<b>ii</b> बैंक	<b>1ii</b>		
	<b>iii</b> कुल आरम्भिक अतिशेष	<b>1iii</b>		
<b>2</b>	प्राप्तियाँ			
	<b>i</b> ब्याज	<b>2i</b>		
	<b>ii</b> लाभांश	<b>2ii</b>		
	<b>iii</b> आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क	<b>2iii</b> क		
	ख	<b>2iii</b> ख		
	ग	<b>2iii</b> ग		
	घ कुल ( <b>2iii</b> क + <b>2iii</b> ख + <b>2iii</b> ग)	<b>2iii</b> घ		
	<b>iv</b> देय/ऋणी का वसूल करना	<b>2iv</b>		
	<b>v</b> अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूजीगत/प्रकृति एवं राशि)			
	क	<b>2v</b> क		
	ख	<b>2v</b> ख		
	ग कुल अन्य प्राप्तियाँ ( <b>v</b> क + <b>v</b> ख)	<b>2v</b> ग		
	<b>vi</b> कुल प्राप्तियाँ ( <b>2i</b> + <b>2ii</b> + <b>2iii</b> घ + <b>2iv</b> + <b>2v</b> ग)	<b>2vi</b>		
<b>3</b>	कुल आरम्भिक अतिशेष और प्राप्तियाँ			<b>3</b>
<b>4</b>	संदाय			
	<b>i</b> प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	<b>4i</b>		
	<b>ii</b> अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	<b>4ii</b>		
	<b>iii</b> लेनदारों को प्रतिसंदाय	<b>4iii</b>		
	<b>iv</b> कमीशन	<b>4iv</b>		
	<b>v</b> अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
	क	<b>4v</b> क		
	ख	<b>4v</b> ख		
	ग अन्य संदायों का योग ( <b>4v</b> क + <b>4v</b> ख)	<b>4v</b> ग		
	<b>vi</b> कुल संदाय ( <b>4i</b> + <b>4ii</b> + <b>4iii</b> + <b>4iv</b> + <b>4v</b> ग)	<b>4vi</b>		
<b>5</b>	अंत अतिशेष			
	<b>i</b> हाथ नकदी	<b>5i</b>		
	<b>ii</b> बैंक	<b>5ii</b>		
	<b>iii</b> कुल अंत अतिशेष ( <b>5i</b> + <b>5ii</b> )	<b>5iii</b>		
<b>6</b>	कुल अंत अतिशेष और संदाय ( <b>4vi</b> + <b>5iii</b> )			<b>6</b>

## विवरणी प्रारूप की अनुसूचियाँ यथा लागू भ्रें

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)					
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %					
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)	
	I					
	II					
	/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I			
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II			
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया					
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य					1क	
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख				
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		1ग				
घ योग (1ख + 1ग)		1घ				
ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है		1ङ				
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)		1च				
छ 1च का 30%		1छ				
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		1ज				
झ योग (1छ + 2ज)		1झ				
ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%		1ञ				
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)		1ट				
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)						
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %						
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक / आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)		
I						
II						
/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)		
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I				
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II				
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया						
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)					2क	
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		2ख				
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		2ग				
घ योग (2ख + 2ग)		2घ				
ङ वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)		2ङ				
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)		2च				
छ 1च का 30%		2छ				
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		2ज				
झ योग (2छ + 2ज)		2झ				
ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%		2ञ				
ट गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)		2ट				
3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो*				3	

4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2ख का अंक लें)	4
<b>टिप्पण</b> ▶ यदि धारा 194ख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है। यदि धारा 194-अ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।		

## अनुसूची – कारबार या वृत्ति

## कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति				
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख)/ भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हों)	1		
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में --चिह्न प्रविष्ट करें)	2क		
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविष्ट करें)	2ख		
	3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन या धारा 115खख के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति	3क
			ख	पूंजी अभिलाभ	3ख
			ग	अन्य स्रोत	3ग
			गि	लाभांश आय	3गि
			गii	लाभांश आय के अलावा	3गii
			घ	115खख के अधीन	3घ
			ङ	115खखछ के अधीन	3ङ
	4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44कड/ 44घ/ 44घक/44घख/ अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4क		
	4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख		
4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4ग			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क		
	ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख		
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			
		i		गi	
		ii		गii	
		iii	कुल (गi + गii)	5गiii	
घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)	5घ			
6	बकाया (1-2क-2ख-3 क-3ख-3ग-3घ-3ङ-4-5घ)		6		
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो धारा 115खख के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	स्वामित्व संपत्ति	7क	
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	115खख के अधीन	7घ	
		ङ	115खखछ के अधीन	7ङ	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है		8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-णज का 16) के अधीन अनन्यज्ञात हैं		8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 8क + 8ख)		9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)		10		
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण		11		
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i		
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	12ii		
	iii	कुल (12i + 12ii)		12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)		13		



14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 6 द)	14	
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 7ट)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 8कज)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 9 च)	17	
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं ( भाग अ आई का 11ज)	18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमे कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	24	
25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28	
29	धारा 32गक के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29	
30	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इएसआर का मद भ4 यदि धारा 35 गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	30	
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग अणझ का 8ख)	31	
32	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग अणझ का 10ज)	32	
33	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	33	
34	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4झ)	34	
35	कुल (27+28+29+30+31+32+33+34)		35
36	आय (13+26-35)		36
37	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i धारा 44कड अनुसूची लाभ और हानि की 62(ii) या भारतीय लेखा मानक लाभ और हानि का 64 (ii)	37i	
	ii धारा 44ख	37ii	
	iii धारा 44खख	37iii	
	iv धारा 44खखक	37iv	
	v धारा 44खखख	37v	
	vi धारा 44घ	37vi	
	vii धारा 44घक	37vii	(प्रारूप 3 गड की मद 4)
	viii अध्याय-XII-छ (टनेज)	37viii	(प्रारूप 6 के मद 10 के स्तंभ
	ix आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	37ix	
	x कुल (37i to 37ix)		37x
38	सट्टे के कारवार से भिन्न, कारवार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 37x)		38

39	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथाप्रविट करेकं जो 35 में है करने के पश्चात् विशेष-कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में है/ यदि हानि है तो मद च का 2इ लें) (39क + 39ख + 39ग + 39घ + 39ङ + 39च)	39क	39ख	39ग	39घ	39ङ	39च	अ39
	क नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39क						
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ख						
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ग						
	घ नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39घ						
	ङ नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ङ						
	च नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च						
40	वित्त अधिनियम [ 4ग -(39क+39ख+39ग+39घ+39ङ)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष							40
आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना								
41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि							41
42	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन							42
43	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां							43
44	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 - 43) (यदि हानि है तो मद गचठ का अंक 6 xi लें)							44ख
इ विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना								
45	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि							45
46	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार जोड़							46
47	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)							47
48	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46 - 47)							48
49	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां							49
50	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (48 - 49) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविट करें)							इ50
51	धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे ससंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (डॉप डाउन मेन्य से चयन करने							इ51
ई	लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ44+ इ50)							ई
उ चालू वर्ग में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा								
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ग की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि	मुजरा पश्चात् बची हुई				
		(1)	(2)	(3) = (1) -				
i	हानि का मजरा (इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क39)					
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख44)						
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग50)						
Iv	धारा 115 ख के तहत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)						
V	कुल हानि मुजरा (ii + iii)							
vi	मुजरा पश्चात् हानि (i - v)							

## अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं )

संयंत्र और मशीनरी का	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन					

6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आसृति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण ( स्तंभ 15 के बाहर)				
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण ( स्तंभ 17 के बाहर)				
19	आसृति / आसृतियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

**अनुसूची - अन्य आसृतियों पर अवक्षयण**

अन्य आसृतियों पर अवक्षयण ( उन आसृतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

अन्य आसृतियों पर अवक्षयण	1	भूमि	भवन ( जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है )			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आसृतियां	पोत
	2	Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
	4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन						
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा( 3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
	7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
	8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन						
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
	12	कुल अवक्षयण। (10+11)						

13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण ( स्तंभ 12 के बाहर)						
14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)						
15	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षयण ( स्तंभ 14 के बाहर)						
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

## अनुसूची - डीईपी

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू हैं )	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू हैं )	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू हैं )	1ग			
	घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा भी लागू हो)	1घ			
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ङ			
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू हैं )	2क			
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू हैं )	2ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू हैं )	2ग			
घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)	2घ				
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)				4	
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)				6	

## अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

	1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ		
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ङ		
	2	भवन ( जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		

ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)			4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5
6	कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)			6

**अनुसूची - इएसआर** वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या गगग या गगघ के अधीन कटौती)

क्र.सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें			

**अनुसूची-पूंजी अभिलाभ** पूंजी अभिलाभ

क	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)	पूंजी अभिलाभ
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरें)
	क	i प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ii स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य iii पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें]
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां
	ग	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत iii पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय iv योग (ख i + ख ii + ख iii)
	घ	तुलन कii - ख iv
	ङ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )
	च	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)
	टिप्पण ▶	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)
		क्र. सं. क्रेता(क्रेताओं) के नाम क्रेता(क्रेताओं) का पैना/ आधार सं. शेयर प्रतिशत रकम संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड पिन कोड राज्य
		यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैना/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें
	2	स्लम्य विक्री से
	क	i नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य ii नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य iii प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)
		2कi 2कii 2कiii

3	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	
	ग	स्लम की बिक्री से लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2 खे)		क 2 ग
	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है			
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii	
		iv योग(i + ii + iii)	ख iv	
	ग	शे-1 (3 क - ख iv)	3 ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	3 घ		
ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ ( एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 3 ङ	
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)			
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एसटीटी) संदत्त किया गया है		क 4 क
	ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है		क 4 ख
5	अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)			
	क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।	i क	
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii	
		iii कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
	ग	शे-1 (5 क iii- ख iv)	5 ग	
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	5 घ	
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ ( एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 5 ङ
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।	i क	
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii	
		iii कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv	

		ग	शेन (6 क iii - ख iv)	6 ग	
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ	
		ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ ( अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ	
		च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटीती	6 च	
		छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ + 6 च)		क 6छ

7		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटीती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं
	i	2018-19	54घ/54छ/54छव 7	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि
ख	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)			

8		अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क+ क8ख+क8ग)		
क	15% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क8क	
ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क8ख	
ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		क8ग	

9		एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है:							
क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की धारा	संघि के अनुसार दर ( यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या प्राप्ति है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
क	डीटीएए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								
ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम								

10		कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ ( क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ + क4 क+ क4 ख+ क5 ङ + क6 छ + क7 + क 8 - क9क)		क 10
----	--	--	--	---------

ख		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)		
1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरा पृथक रूप से भरें)		
क	i	प्राप्त/प्राच्य प्रतिफल का पूरा मूल्य		कं
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		कii
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) लें)		कiii
ख	धारा 48 के अधीन कटीतियां			
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i	
	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii	
	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय		ख iii	

	iv योग ( ख i + ख ii + ख iii )	ख iv	
ग	शेन ( क iii - ख iv )	1 ग	
घ	धारा 54 घ / 54 डग/54 छ / 54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें )	1 घ	
ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ ( 1 ग - 1 घ )	ख 1 ड	
च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्योरे दें (कृपया टिप्पण दें)		
	क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैना / आधार नं.
			शेयर प्रतिशत
			रकम
			संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड
			पिन कोड
			राज्य
टिप्पण	यदि कर धारा 194इक के अधीन काटा गया है तो पैना/ आधार नं देना अनिवार्य है । ▶ एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।		

2	स्लम्य विक्री से		
क	i नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi	
	ii नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii	
	iii प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम )	2कiii	
ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	
ग	शेन (2कiii - 2 ख)	2 ग	
घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती	2 घ	
ङ	स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ ( 2 ग-2 घ )	ख 2 ड	
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न )		
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग ( ख i + ख ii + ख iii )	ख iv	
ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ ( 3क - 3 ख iv )	ख 3 ग	
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किस्ती यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।		
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग ( ख i + ख ii + ख iii )	ख iv	
ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)	ख 4 ग	
5	किस्ती कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिव्यास निधि इकाई या किस्ती कारवार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है		
	उपरोक्त ख 5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का कॉलम 14)	ख 5	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)		
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ	ख 6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)( ग ) के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्वभ 8 बरा जाएगा )		
क	i प्रतिभूतियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्योरा दीजिए:-		
	क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का	i क	
	ख विहित सीते से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
	ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
	ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii	
	iii कुल (i ग + ii)	क iii	



	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i								
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii								
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii								
		iv योग ( ख i + ख ii + ख iii )	ख iv								
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)		ख 7 ग							
8		अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जसि पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है									
		उपरोक्त ख 8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ ( अधिसूचना 115कघ(1)(ख)(iii) का		ख 8							
9		आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं									
	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-									
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का									
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य									
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग								
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा									
		iii कुल (ग + ii)	क								
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i								
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii								
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख								
		iv योग ( ख i + ख ii + ख iii )	ख iv								
	ग	शे-1 (9 क iii - ख iv)		7 ग							
	घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें)		7 घ							
	ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9 ग - 9घ)		ख 9 ङ							
10		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व व-1 के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस व-1 के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
	क्रम सं.	पूर्व व-1 में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस व-1 में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं व-1 जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि					
	i	2018-19	54घ/54छ/54छक								
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)					ख 10				
11		दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)					ख 11				
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास				ख 11क1					
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास				ख 11क2					
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास शून्य आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य				ख 11ख					
12		एलटीसीजी की रकम जो ख 1- ख 11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)									
	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख 12क
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि									ख 12ख
13		कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख 9ङ + ख 10 + ख 11 - ख 12क) (यदि क्षति हो तो ख 3 को शून्य के रूप में लें)									ख 13

ग	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख13)		ग	
घ	पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी			
1	धारा 54घ / धारा 54ङग/ धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें।			
	क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii	
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूँजी अभिलाभ योजना में जमा राशि	क iv	
	v	दावाकृत कटौती की राशि	क v	
	ख	धारा 54 ङ ग के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम ( पचास लाख से	ख ii	
	iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv	
	ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई अस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पहले पूँजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv	
	v	दावाकृत कटौती की राशि	ग v	
	घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती		
	i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	घ ii	
	iii	एसईजेड में नई अस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पहले पूँजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	घ iv	
	v	दावाकृत कटौती की राशि	घ v	
	ङ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)		1 ङ

पूँजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूँजी हानि को चालू वर्ष के पूँजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 121क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीएए के अंतर्गत

क्र. सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष की पूँजी हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	मुजराई की गई पूँजी हानि				मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूँजी हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूँजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर	
		1	2	3	4	5	6		7	
i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*		(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)	(आ1ड*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6ग*+ आ9ड*+ आ10*+ आ11ख*)	आ12ख	
ii	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)								
iii	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ	30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv	लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)								
v	डीटीएए	अ9ख*								

vi	दीर्घ अवधि पूंजी हानि	10%	आ4ग *+ आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)							
vii		20%	आ4ग *+ आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ड*+							
viii		डीटीए	आ12ख							
ix	मुजर्राई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजर्राई के बाद शे-र हानि (i – ix)									

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड\*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड\*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

च पूंजी अभिलाम के उद्भूत/प्राप्ति के वि-य में सूचना

	पूंजी अभिलाम का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाम					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाम					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची वीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि डीटीए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाम					
4	अनुसूची वीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई है					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची वीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई है					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची वीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई है					
7	डीटीए की दर पर करादेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची वीएफएलए की मद 5xii से मूल्य भरें, यदि कोई है					

अनुसूची 112ए		कंपनी अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट में इक्विटी शेयर की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एलटीडी अदा किया गया है												
क्रम सं.	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएसआईए न कोड	शेयर / यूनिट का नाम	शेयर/ यूनिट की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर / यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य - यदि शेयरर्स 31.01.201 8 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयरर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन अथवा अग्रहण की लागत (8 अथवा 9 का उच्चतर)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी - निम्न	31 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत परिसम्पत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य	अंतरण के संबंध में पूर्णतया अथवा विशेष रूप से व्यय	कुल कटीति यां (7+12)	शेष (6-13)- आईटीआर 6 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 5
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियां जोड़े														
योग														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)		एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा विज्ञान ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिनपर धारा 112 क के अन्तर्गत एसटीटी अदा किया गया है।												
क्र स	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत 8 अथवा 9 का उच्चतर	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घनिधि परिसंपत्ति 01-2-2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी	31 जनवरी 2018 को उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट	धारा 56 2 कग के अनुसार मुंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 से 10	अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा विशेषकर व्यय	कुल कटौतियां 3 7	शेष(6-13) - आईटम्स 8 का एलटीसीजी शेड्यूल का आईटीआर 6
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियां जोड़े														
योग														

## अनुसूची-अन्य स्रोत

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)													1	
	क लाभांश, सकल													1क	
	i धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय													का	
	ii (i) के अलावा लाभांश आय													काii	
	ख व्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv)													1ख	
	i बचत बैंक खाता													खi	
	ii जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)													खii	
	iii आय कर प्रतिदाय से													खiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में													खiv	
	v अन्य													खv	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय													1ग	
	घ धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)													1घ	
	I प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य													घi	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य													घii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य													घiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य													घiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य													घv	
	ङ कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें														
	क्रम सं	प्रकृति											राशि		
	1														
	लाइन जोड़े														
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं से 1)													2	
	क तादरी वर्ग पहली इत्यादि की जीत के रूप में आय													2क	
	ख धारा 115खघ के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)													2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़													खi	
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान													खii	
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि													खiii	
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि													खiv	
	v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि													खv	
	vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम													खvi	



3	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (2क, 2ख, 2ग और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियों)							
	क	व्यय/ कटौतियाँ “ग” में इंद्रराज के अलावा	3क					
	ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई)	3ख					
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर व्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंद्रराज	3ग					
	गं	धारा 57(i) के तहत योग्य व्याज व्यय-कलित राशि	3गं					
घ	योग	3घ						
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम						4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ						5	
6	सामान्य लागू दर (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद -3+4+5) पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3x में अंकों को रखें)						6	
7	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2+6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	धुड़ दौड़ के स्वामियों के क्रियाकलापों से आय।							
	क	प्राप्तियाँ	8क					
	ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 11xv के अंक प्रविष्टि करें)	8ङ					
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	अन्य स्रोतों से आय की प्रोम्प्टन/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
	क्र.सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1		धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहेलियों, दौड़, खेलों, घुत, शर्तों इत्यादि से जीती हुई राशि के रूप में आय						
2		क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
3		धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
4		धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
5		धारा 115खखघ के तहत 15% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
6		धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
7		धारा 115कघ (1)(i) के तहत 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
8		डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

## अनुसूची सीवाईएलए चालू वॉ की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का शी/स्रोत	चालू वॉ की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वॉ की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वॉ की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वॉ के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जाती है (यदि आकड़े नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी की मद च का 2)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची एचपी का क 38)				
iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	(बीपी अनुसूची की मद ड का 3)				
v	सट्टे से आय	(बीपी अनुसूची की मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(बीपी अनुसूची की मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	दौड़ के घोड़ों का सौमित्र रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8ड)				
xvi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

## अनुसूची बीएफएलए पूर्व वॉ की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का शी/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वॉ की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	बिजनेस (बीमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			





xvii	भावी वर्गों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xii-xiii+xvi)								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण**

धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और भत्ते

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रनीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रनीत शे-1 रकम	अग्रनीत अनामेलित भत्ते की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रनीत शे-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

**अनुसूची आ.स.प्र.मा.**

लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

**अनुसूची-10कक**

धारा 10कक के अधीन कटौती

विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है		रकम
	क्र० सं०	उपक्रम	
धारा 10कक के अधीन कटौती	क	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
	ख	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख)	

**अनुसूची 80छ**

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान	आदाता का पैस	संदान की रकम		
				संदान के लिए उपयुक्त रकम	नकद संदान	अन्य रीति से संदान
		आदाता का नाम और पता				
	i					

	ii						
	iii	कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						

**अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा**

क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (डाउन डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

**अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरें [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(ii) या 35(1)(iii) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]**

संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
		नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	योग				

**अनुसूची 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां**

धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ख	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ग	धारा 80-झक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुजजीवन)	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
घ	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1)				घ	

अनुसूची 80 झख		धारा 80-झख के अधीन कटौती		
क	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा80झख(4)]	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ख	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती [धारा80झख(8क)]	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ग	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा80झख(9)]	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(10)]	घ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ङ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
च	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
छ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से च2 का योग)			छ

अनुसूची-80-झग या 80-झङ		धारा 80-झग या धारा 80झङ के अधीन कटौतियां		
क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ग1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			
घक	असम	घक1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घक2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घघ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घङ	मेघालय	घङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घच2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घछ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)			घज
ङ	धारा 80झग या धारा 80झङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)			ङ

अनुसूची-VI- क		अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां		
1	भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती			
क	80छ	ख	80छख	
ग	80छक	घ	80छग	
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)				1
2	भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती			
ङ	80झक	(अनुसूची 80झक का च)	च	80झकख
छ	80झकग		ज	80झख
				(अनुसूची 80झख का ण)

कुल कटौतियां

झ	80झखक		ञ	80झग/ झड.	(अनुसूची 80-झग/80-झड का झ.)	
ट	80जजकक		ठ	80जजकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलप्रक में क्रम सं. 5I(अiv) +5II)	
ड	80टक(1)	(प्ररुप 10गगच का उपाबंध 9)	ढ	80टक(1क)	(प्ररुप 10गगच का उपाबंध 9)	
ण	80फ- ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार लाभार्थ वितरण का विवरण		त	80तक		
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त)					2
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 +2)					3

## अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इक्विटी पर एसडीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)	
2	115 कघ ( एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) ( गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112क (शेयरों अथवा यूनितों की विक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ (1)(ख)(iii)-परन्तुक	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x)	
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसडीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)	
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग x)	
13ख	धारा 115कग के तहत प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभार्थ पर आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी, बर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
15	115खखघ (विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभार्थ)	☐	15	(अनुसूची - ओएस का भाग 2ग xi)	
16	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	☐	60	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
17	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय )	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग xix)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2ग xvii)	
19	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2ग xviii)	
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य सत्रों से आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2ड का भाग)	
21	15 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास रूँ आय	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का 5vi का भाग)	
22	30 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास रूँ आय	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का 5vii का भाग)	
23	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x का भाग)	
24	20 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास रूँ आय	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi का भाग)	
25	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x का भाग)	
26	विशेष दरों से प्रभाय अन्य सत्रों की प्रकृति की पास रूँ आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ )	
27	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनितों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2ग x)	

28	रायल्टी से आय जहाँ 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहाँ करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।	<input type="checkbox"/>	50	(अनुसूची ओएस का 2ग xix)
29	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभावी होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्राप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2ग का भाग)
			योग	

### अनुसूची झ च अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना

संस्था जिसमें निवेश किया गया	संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है								
	क्रम सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	संस्था का पैना	क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हाँ/नहीं)	क्या संस्था पर धारा 92ड लागू होती है? (हाँ/नहीं)	संस्था के लाभ में शयर प्रतिशत	लाभ का शयर राशि I	संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष ii
1									
2									
3									
4	कुल								

### अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के व्योरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभावी नहीं है।)

क्र. सं.	व्याज से आय	1
2	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i
	ii कृषि पर उपगत व्यय	ii
	iii पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि	iii
	iv नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8 से संबंधित कृषि आय ( अनुसूची बी.पी.के क्रम सं. 40 से)	iv
	v वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)	2
	vi यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख ₹0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित व्योरे दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से व्योरा दीजिए)	
	क जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है	
	ख एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम	
	ग क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)	
	घ क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर अश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)	
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख+3ग+3घ)	3
	क धारा 10(23चख), 10(23चखक), 10 (23चग), 10(23चगक), 10(23चड), 10(23चच), 10(4घ) के तहत ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।	3क
	ख कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें।	3ख
4	डीटीए के अनुसार आय जो कर से प्रभावी नहीं है	
	क्र. सं; आय की राशि आय की प्रकृति देश का नाम और कोड डीटीए का अनुच्छेद आय का शीर्षक क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)	
	I	
	II	
	III डीटीए से कुल आय जो कर से प्रभावी नहीं है	4
5	पास थू आय जो कर से प्रभावी नहीं है (अनुसूची पीटीआई)	5
6	योग (1+2+3क+3ख+4+5)	6

### अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारवार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्योरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख में निवेशित	कारवार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारवार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्षक	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाता है)			i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क			
					काii	अन्य			
					ख	दीर्घकालिक अवधि			
					खा	धारा 112			
					खाii	धारा 112A			
				iii	अन्य स्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
					ख	धारा .....के अधीन			
ग	धारा.....के अधीन								
2.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क			
					काii	अन्य			
					ख	दीर्घकालिक अवधि			
					खा	धारा 112क			
					खाii	धारा 112क से भिन्न			
				iii	अन्य स्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
					ख	धारा .....के अधीन			
ग	धारा.....के अधीन								

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

अनुसूची एमएटी		धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना	
न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रविट करें) / (भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4
	5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	
	क	आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफवीटी से भिन्न)	5क

	ख आरक्षिति (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख	
	ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग	
	घ समनुंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ	
	ङ संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ	
	च धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च	
	छ एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	5छ	
	ज धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज	
	झ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ	
	ञ 115अख के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बावत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ	
	ट आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट	
	ठ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ	
	ड अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड	
	ढ कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ +5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ + 5ड )	5ढ	
6	कटौतियां		
	क आरक्षिति से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क	
	ख धारा 10, , 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख	
	ग पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग	
	घ एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ	
	ङ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ	
	च धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च	
	छ धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर हानि	6छ	
	ज धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज	
	झ अग्रनित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो।	6झ	
	ञ रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	6ञ	
	ट अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट	
	ठ कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ +6ज+6झ+6ञ+ 6ट )	6ठ	
7	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ढ - 6ठ)	7	

8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें।	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ	
	क शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के	8क

	विवरण में अन्य व्यापक आय		
ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख	
ग	धारा 115जख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग	
घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ	
ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ	
ख. धारा 115जख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती			
च	शीर्ष वे मर्दे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च	
छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ	
ज	धारा 115जख(2ग)में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज	
झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ	
ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ	
9	धारा 115जख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय	9	
क	धारा 115जख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	9क	
ख	धारा 115जख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अलावा समायोजित कुल आय	9ख	
10	धारा 115जख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%]	10	

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 जकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2022-23 में धारा 115जख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1				
2	निर्धारण वर्ष 2022-23 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)	2				
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रवि-ट करें, अन्यथा 0 प्रवि-ट करें]	3				
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अतिशे- (ख3) = (ख2) - (ख1)		
I	2008-09					
ii	2009-10					
iii	2010-11					
iv	2011-12					
v	2012-13					
vi	2013-14					
vii	2014-15					
viii	2015-16					
ix	2016-17					
x	2017-18					
Xi	2018-19					
Xii	2019-20					
Xiii	2020-21					
Xiv	2021-22					
xv	2022-23 [(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)- अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2च) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है]					



	xvi	योग			
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115जकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xvi) प्रवि-ट करें]				5
6	पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्गों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [ 4(घ) xvi प्रवि-ट करें]				6

**अनुसूची-  
बीबीएस**

शेयरों की पुनःखरीद पर घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर के ब्यौरे

<b>क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर कर</b>	क्रम	विवरण		पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	
	(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)	
	1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख		(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	
	2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम					
	3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम					
	4	कंपनी की वितरित आय (2-3)					
	5	वितरित आय पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क			
			ख	क पर अधिभार			
			ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख) पर			
			घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)			
	6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज					
	7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6)					
	8	संदत्त कर और ब्याज					
	9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)					
10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें		तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2	
			(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	
11	बैंक और शाखा का नाम						
12	बीएसआर कोड						
13	चालान की क्रम संख्या						
14	जमा रकम						

<b>अनुसूची टीपीएसए</b>		ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 192 गअ(2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण						
<b>धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर</b>	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निर्धारित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है (कृपया समस्त ति. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर					
		ख	क पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर					
		घ	(क+ख+ग) पर देय कुल अतिरिक्त कर					
	3	अदा किए गए कर						
	4	(2घ-3) देय निवल कर						
	5	धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की तारीख	दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6
			(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
6	बैंक तथा शाखा का नाम							
7	बीएसआर कोड							
8	चालान की क्रम सं.							
9	जमा की राशि							

अनुसूची- एफएसआई		भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)							
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें							

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)					
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड.) का योग)	धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90 क या 91 विनिर्दिष्ट करें)		
						(क)	(ख)
1			दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
			योग				
2			देश जहां डीटीए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/20क) (1घ के योग का भाग)		2		
3			देश जहां डीटीए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग)		3		
4			क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण		4 हां/नहीं		
	क	प्रतिदेय कर की रकम		ख	वह निर्धारित वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया था		
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें					

**अनुसूची वि.आ.** भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा [प्रणाली को टिप्पणी: कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) वित्त वर्ष के बजाय (अप्रैल से मार्च)]

अ1	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ2	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे



	और कोड		प्रकृति	सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी		(लागत पर) (रु. में)	आय		राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
<b>ड</b> सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।												
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(i)												
(ii)												
<b>च</b> भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।												
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)												
(ii)												
<b>छ</b> भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(i)												
(ii)												

### टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आसति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आसति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

**अनुसूची एसएच-1** असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति (एक कंपनी से भिन्नि जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)

यदि आप असूचीबद्ध कंपनी है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:-									
पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धृति का ब्यौरा									
शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन / आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किये गए शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन घनराशि	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गमन कीमत
--------------	----------------------------	----------------	--------------	----------------	--------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

ऐसे शेयर धारक का ब्योरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था											
शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	आबंटन की तारीख	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

**अनुसूची एसएच-2** स्टार्ट-अप की शेयर धृति

यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यारे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्योरा

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	शेयर प्रीमियम
------------------	--	----------------	--------------	----------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन घनराशि का ब्योरा

आवेदक का नाम	आवेदक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किए गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर प्रस्तावित निर्गमन कीमत	शेयर आवेदन घनराशि	शेयर आवेदन प्रीमियम
--------------	--	----------------	--------------	----------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------

ऐसे शेयर धारक का ब्योरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में
------------------	--	----------------	--------------	----------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--	-------------------	---

टिप्पण पदों- “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “विनिर्दिष्ट कंपनी”, की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें

**अनुसूची ए.एल-1** वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है) (किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची ए.एल-2 भरना जाना है)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यारे

क	आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यारे											
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
(i)												
(ii)												
ख	घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यारे											
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
(i)												
ग	सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्योरा											
शेयरों की संख्या	आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर			वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष		
	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
घ	असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्योरा											
कंपनी का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर				वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष	
		शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत
ङ	अन्य प्रतिभूतियों के ब्यारे											

प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां					वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष	
		प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेषर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत
<b>च अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे</b>												
अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	अंत अतिशेष						
<b>छ किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिती का सार्वजनिक कारवार नहीं है )</b>												
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	विकलित ब्याज, यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)					
<b>ज मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे</b>												
आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)								
<b>झ आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा</b>												
आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)								
<b>ञ दायित्वों के ब्यौरे</b>												
वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे												
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

### अनुसूची ए.एल-2 वर्ष के अंत में आस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-							
<b>क निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे</b>							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)							
(ii)							
<b>ख निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे</b>							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)							
<b>ग निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिती का सार्वजनिक कारवार नहीं है )</b>							
व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत्त हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
<b>घ निगमन से अन्य अस्तित्व को लिए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे</b>							
अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि कोई हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
<b>ङ शेषों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे</b>							

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
<b>च</b> मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है							
अस्तित्व का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
<b>छ</b> निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							
अस्तित्व का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
<b>ज</b> निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
अस्तित्व का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
<b>झ</b> दायित्वों के ब्यौरे							
वितीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

### अनुसूची जीएसटी आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण ► कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें

### अनुसूची एफ.डी

विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

क्रम सं.		रकम (रुपयों में)
i	पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
iii	पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

### भाग - ख

#### भाग ख कुल आय कुल आय की संगणना

क्र.सं.	विवरण	1
1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि	
कुल आय	i सटटे का कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क39) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	2i
	ii सटटे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(ii)(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकड़े लें)	2ii
	iii विनिर्दि-ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकड़े लें)	2iii

	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3 तथा 3ड और 4ख)	2iv	
	V	कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv)		2v
3	पूँजी अभिलाभ			
	क	अल्पकालिक		
	i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9ii)	का	
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iii)	काii	
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iv)	काiii	
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9v)	काiv	
	v	कुल अल्पकालिक (का + काii+काiii + काiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविट करे)	3कv	
	ख	दीर्घकालिक		
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vi)	खा	
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vii)	खाii	
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9viii)	खाiii	
	iv	कुल दीर्घकालिक (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करे)	खाiv	
	ग	कुल दीर्घकालिक अभिदाय (3कv + 3खाiv) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करे)		3ग
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय (अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करे)	4क	
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेष-दर पर (अनुसूची ओ एस का 2)	4ख	
	ग	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय (अनुसूची ओ एस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करे)	4ग	
	घ	कुल (4क+ 4ख+ 4ग)		4घ
5	शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2v + 3ग + 4घ)			
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ग की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii)			
7	चालू वर्ग की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेन (5-6) अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (ii), (iii), (v) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)			
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi)			
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv)तक का योग + 4ख + 2iv)			
10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष-दर से प्रभार्य कर			
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख /अनुसूची VIक का 1 तथा बीएफएलए के i5+ii5+iv5+v5+viii5+xiii5+xiv5 तक सीमित)		11क
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची VIक का 2)		11ख
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित)		11ग
12	धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूचि 10कक)			
13	कुल आय (9- 11ग -12)			
14	विशेन दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग			
15	मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)			
16	शुद्ध कृनि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3)			
17	चालू वर्ग की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xv ) का योग			
18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)			

भाग ख - कुल आय पर कर

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की	1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क	
		ख	ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	ऊपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग	
		घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)	1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क		



	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख		
	ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर			2ग
	घ	अधिभार			
	i	एस.आई अनुसूची 16 का 25%	2घi		
	ii	एस.आई अनुसूची का 16 - 2ग)	2घii		
	iii	कुल (i + ii)			2घiii
	ड	(2ग+2घiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर			2ड
	च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घiii +2ड)			2च
	3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रवि-ट करें)			3
	4	पूर्ववर्त में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5)			4
5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)]			5	
6	कर अनुत्तो- क धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग) ख धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग) ग कुल (6क + 6ख)	6क 6ख		6ग	
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रवि-ट करें)			7	
8	संदेय ब्याज और फीस क विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क) ख अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख) ग अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग) घ आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234च) ड कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)	8क 8ख 8ग 8घ		8ड	
9	सकल दायित्व (7 + 8ड)			9	
देय कर	10	संदत्त कर क अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से) ख टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग) ग टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग) घ स्व निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से) ड कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)	10क 10ख 10ग 10घ		10ड
	11	संदेय रकम (9 - 10ड) (यदि 9 10ड से अधिक है तो शून्य प्रवि-ट करें)			11
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी)			12
	13	क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है, भारत में बिना बैंक खातों वाले प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का विकल्प चुन सकते हैं)			
	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)			
बैंक खाता	क्रम सं.	यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक का नाम	खाता सं	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं )एक खाता पर निशान लगाएं)
	i				
	ii				
	नोट: 1) प्रतिदाय क्रेडिट हेतु न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए 2) प्रतिदाय के केस में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध(मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय सीपीसी द्वारा विवरणी के संसाधन के बाद निर्णित खाते में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा				
(ख)	अनिवासी: जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, तो वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं				
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का नाम(लोकेशन)	आई.बी.ए.एन
	यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है				
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सल्ला में विलीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी खोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
15	अनुसूची-आयकर क अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्निर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				

क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
कर संदाय	I			
	ii			
	iii			
	iv			
	v			
	vi			

टिप्पण-भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें।

ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]											
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैन/आधार सं.	अग्रणीत किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान काटा गया टीडीएस	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	तदनुसूची रसीद/आहरण प्रस्तुत की गई	अग्रणीत किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय				
(1)	(2)	(3)	(4)	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	(13)
i							आय	टीडीएस	आय	टीडीएस	पैन/आधार सं.	

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख -टीटीआई के स्तंभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [ संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत टीसीएस		चालू वित्त वर्ष का टीसीएस(वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान संग्रहित टीसीएस)	इस वर्ष दावा की जा रही (5) अथवा (6) में से राशि (तभी यदि इस वर्ष कर के लिए तदनुसूची रसीद प्रस्तुत की जा रही है।	अग्रणीत होने वाली (5) या (6) में से रकम	
			वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहित किया गया	अग्रणीत रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
i								
ii								

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग भरें

#### सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है।


मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं..... (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आबंटित हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)।

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें

फार्म आईटीआर -V	भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन फार्म [जहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में दायर किए गए परन्तु इलैक्ट्रॉनिक	निर्धारण वर्ष 2022-23
-----------------	---	--------------------------

रूप से सत्यपित नहीं किए गए]			
(कृपया आयकर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखें)			
नाम			
स्थायी खाता संख्या		फार्म संख्या	
दायर धारा		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
सत्यापन			
<p>मैं.....का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य एवं पूर्ण है और वह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस विवरण को अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूँ। मेरा स्थाई खाता संख्या (पैन) है।</p>			
हस्ताक्षर 			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आईपी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			
<p>अनुदेश:</p> <p>कृपया विधिवत हस्ताक्षरित (प्राथमिकता ब्लू इंक में) फार्म आईटीआर-V को केवल साधारण डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरू-560500 को भेजें। वैकल्पिक रूप से आप आधार ओटीपी का प्रयोग करके अथवा नेट बैंकिंग लॉगिन के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन अथवा पूर्ण वैधता वाले बैंक खाते/डोरमेट अकाउंट का प्रयोग करके सृजित प्राप्त किए गए ईवीसी अथवा बैंक एटीएम के जरिए सृजित ईवीसी का प्रयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित कर सकते हैं।</p> <p>आईटीआर-V फार्म आयकर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस फार्म आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।</p> <p>सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी दायर करने की पावती को आय विवरणी दायर करने की प्रक्रिया के पूरा होने के साक्ष्य के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।</p>			
1.			